



चित्रकूट-पुलिस



(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियों टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 01.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एंटी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनांक 01.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाचक पुलिस अधीक्षक श्री परितोष दीक्षित द्वारा मानवीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये एक असहाय दिव्यांग महिला को सड़क पार करने में मदद की।

आज दिनांक 01.03.2024 को प्रातःकाल के समय पुलिस लाइन चित्रकूट प्रयागराज-मानिकपुर रोड़ पर एक असहाय दिव्यांग महिला जो हाथ में बैग लिए अकेली थी और सड़क पार करना चाह रही थी। दिव्यांग महिला अज्ञानतावश प्रयागराज हाइवे खोह तिराहा में बैठी थी जबकि उसे मानिकपुर की तरफ जाना था। हाइवे में वाहनों के आवागमन से सड़क पार करने में दिव्यांग महिला की असहाय स्थिति को देखकर निरीक्षक श्री परितोष दीक्षित द्वारा महिला के बैग को पकड़कर सकुशल सड़क पार कराकर उसको चाय पिलवाई।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार द्वारा भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.छोटा पांडेय 2.धीरज पांडेय पुत्रगण अंबिका पांडेय 3.प्रेम पांडेय पुत्र लल्लू निवासीगण कुसैली 4.दिनेश मिश्र पुत्र

शिवशंकर निवासी रूपौली 5.शिवबाबू उर्फ शिवबालक पुत्र अशोक निषाद निवासी कनकोटा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त कंचन वर्मा पुत्र स्व0 रामगोपाल वर्मा निवासी केवटन पुरवा मजरा तीरधुमाई गंगू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 15 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

15 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा
2. आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार द्वितीय

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सरैया उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रामबरन यादव पुत्र रामसिया निवासी बौड़ा का पुरवा मजरा ऐचवारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

20 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. चौकी प्रभारी सरैया उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह
2. आरक्षी अनुज दुबे
3. आरक्षी चंद्रभूषण राय

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिक श्री छोटेलाल पुत्र बट्टीप्रसाद निवासी बंधोइन थाना कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पुत्री के पति संतलाल पुत्र संतोष कुमार व ससुरालीजन निवासी मैदाना थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट व दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। ससुरालीजन पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी। पति पत्नी द्वारा एक दूसरे का फूलमाला पहनायी एवं एक दूसरे को मिठाई खिलायी गयी।

समझौता कराने वाली टीम:-

1. प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी
2. महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(7) आज दिनांक 01.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा थाना राजापुर व सरधुवा के विवेचकों का अर्दली रूम किया गया। महोदय द्वारा अर्दली रूम के दौरान विवेचकों को गुण दोष के आधार पर विवेचना के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

अर्दली रूम के दौरान प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार, प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी एवं विवेचकगण उपस्थित रहे ।

(8) आज दिनांक-01.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा थाना राजापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय में रजिस्ट्रों के उचित रख-रखाव व अद्यवधिक करने हेतु प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।